दिनांक 08.10.2025

अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्तगण रवि बलौदा, मंजीत एवं अरविन्द उर्फ गब्बर जे.सी. से उपस्थित। अभियुक्त लोकेश वर जमानत मय अधिवक्ता उपस्थित। शेष अभियुक्तगण अनुपस्थित, जिनकी हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता पेश हुआ, जो आज के लिए स्वीकार किया गया। प्रकरण में उपस्थित अभियुक्त लोकेश के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त ने साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा। पत्रावली लक्षित प्रकरणों की सूची में 11 वें नंबर पर शुमार है, जिसका शीघ्र निस्तारण अपेक्षित है। अतः अधिवक्ता अभियुक्तगण को हिदायत दी जाती है कि आगामी पेशी पर समस्त अभियुक्तगण को असालतन उपस्थित रखें।

पत्रावली वास्ते बयान मुलजिम (शेष अभियुक्तगण) दिनांक 17.10.2025 को पेश हो, तब तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध अभियुक्तगण की जे.सी. अवधि बढ़ाई जाती है।

अपर सेशन न्यायाधीश
संख्या-1, झुंझुनूं